अखिलेश यादव

मुख्य मंत्री
उत्तर प्रदेश

लाल बहादुर शास्त्री भवन
लखनऊ

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
लखनऊ : दिनांक 26 दिसम्बर, 2013

संदेश

यह हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने अनिवार्य दायित्वों का निर्वहन करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम-1985 के प्राविधानों के अन्तर्गत उप क्षेत्रीय योजना-2021 की संरचना क्षेत्रीय योजना-2021 की नीतियों एवं प्राविधानों के संदर्भ में की गयी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा भी उप क्षेत्रीय योजना-2021 हेतु अपनी सहमति प्रदान कर दी गयी है। मुझे विश्वास है कि उप क्षेत्रीय योजना-2021 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उत्तर प्रदेश प्रभाग के संतुलित एवं सुव्यवस्थित विकास हेतु मार्गदर्शक सिद्ध होगी।

राज्य सरकार उत्तर प्रदेश प्रभाग के समुचित विकास हेतु पूर्णतः कटिबद्ध है। इससे उत्तर प्रदेश प्रभाग में भौतिक एवं सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं एवं परियोजनाओं का तीव्र क्रियान्वयन समयबद्ध रूप से सुनिश्चित होगा।

(अखिलेश यादव)